न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 60 / 2025

श्री विक्रम सिंह निवासी कुन्जला बास पोस्ट रावतसर कुन्जला जिला चूरू राज. पिन 331303
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक – प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 04.09.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

रामवतार मीना पिता घासीलाल मीना नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय दूनी जिला टोंक में कार्यरत के बारे में निम्नांकित सूचना चाहने बाबत ।

1. उक्त कार्मिक द्वारा कितने प्रमोशन का लाभ जोइनिंग से लेकर अब तक लिया गया हैं उक्त प्रमोशन लेटर की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ।
2. उक्त कार्मिक रामवतार मीना पिता श्री घासी लाल मीना द्वारा नियुक्ति के समय अब तक कितनी संतानों का जिक्र किया हैं।
3. उक्त कार्मिक को आज तक किसी रिश्वतखोरी आदि मामलो में लिप्त पाया गया या नही यदि हा तो लिप्त मामले की संख्याकों सहित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।
4. उक्त कार्मिक द्वारा बाड़मेर अपने प्रथम पदस्थापना स्थल पर अपने भाई कैलाश / घासी के नाम से अंकित भूमि खारिज हुई या नहीं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1345 दिनांक 21.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 720 दिनांक 30.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन वर्तमान अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर अन्य ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध तहसीलदार दूनी से होने से उनके पत्र कमांक 697 दिनांक 17.07.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 698 दिनांक 17.07.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला टोंक को पत्र कमांक 1482 दिनांक 31.07.2025, 1605 दिनांक 13.08.2025 तथा 1693 दिनांक 28.08.2025 को प्रेषित कर ।रेपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम

710

जिला कलेक्टर
टोंक

2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

7||